

मि. अ. अ.  
R. Kumar  
21/8/18.

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
॥ कार्यालय आदेश ॥

सं0सं0-04 / HFA-16 / 2016- 454 / न0वि0एवं0आ0वि0, पटना दिनांक-31/8/18

सबके लिए आवास (शहरी) HFA योजना के अधीन राज्य के 46 नगर निकायों के लिए स्वीकृत परियोजना (लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक) के कार्यान्वयन हेतु अनुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि आंशिक की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-168 दिनांक-30.03.2018 द्वारा की गई है।

अतएव 46 शहरों के लिए प्राप्त अनुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ-02 में अंकित नगर निकायों के नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित राशि SC घटक में, स्तम्भ-05 में अंकित राशि ST घटक में एवं स्तम्भ-06 में अंकित राशि Other than SC&ST घटक में विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-


(राशि लाख रू0 में)

क्र0	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय ईकाई	SC मद में विमुक्त की जा रही अनुपातिक राज्यांश की राशि	ST मद में विमुक्त की जा रही अनुपातिक राज्यांश की राशि	Other than SC & ST मद में विमुक्त की जा रही अनुपातिक राज्यांश की राशि	कुल विमुक्त राशि (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Araria Phase-III	2599	53.60	2.60	363.00	419.20
2	Areraj Phase-II	1400	54.60	2.40	196.20	253.20
3	Bahadurganj Phase-II	543	0.40	0.00	99.60	100.00
4	Bakhri Phase-II	983	22.20	0.80	114.80	137.80
5	Bakhtiyarpur Phase-II	966	51.00	0.80	102.80	154.60
6	Balia Phase-II	1219	6.33	24.20	115.80	146.33
7	Banmankhi Phase-III	1070	0.00	4.80	148.00	152.80
8	Barh Phase-II	122	0.00	2.40	12.40	14.80
9	Benipur Phase-III	2803	0.00	20.60	296.80	317.40
10	Birpur Phase-II	490	0.00	0.00	31.40	31.40
11	Buxar Phase-II	58	0.00	1.40	3.60	5.00
12	Chakia Phase-II	723	0.00	8.20	112.20	120.40
13	Chanpatia Phase-II	493	0.00	1.20	59.80	61.00
14	Dumraon Phase-II	387	0.00	4.20	48.60	52.80
15	Ekma Phase-II	476	0.00	10.80	59.80	70.60
16	Gaya Phase-III	1440	0.00	6.60	208.20	214.80
17	Gogri Jamalpur Phase-III	775	0.00	0.00	16.60	16.60
18	Haveli Kharagpur Phase-II	118	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Bihat Phase-II	1172	0.00	2.20	185.40	187.60
20	Hajipur Phase-III	2296	0.00	3.20	262.00	265.20
21	Hisua Phase-III	222	0.00	0.00	10.60	10.60
22	Jainagar Phase-II	317	0.00	0.00	11.20	11.20
23	Jamui Phase-III	1906	0.00	0.40	251.40	251.80
24	Janakpur Road Phase-II	537	0.00	0.00	45.38	45.38
25	Jogbani Phase-II	191	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Khusrupur Phase-II	627	0.00	0.20	0.00	0.20
27	Koath Phase-II	489	0.00	0.20	0.00	0.20
28	Koilwar Phase-II	331	0.00	0.40	0.00	0.40
29	Lakhisarai Phase-II	657	0.00	0.00	0.00	0.00


30	Madhubani Phase-III	1485	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Manihari Phase-II	1207	0.00	5.40	0.00	5.40
32	Mokama Phase-II	1710	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Motihari Phase-II	285	0.00	0.20	0.00	0.20
34	Motipur Phase-II	630	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Murliganj Phase-II	786	0.00	0.20	0.00	0.20
36	Nasriganj Phase-II	194	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Nawada Phase-II	109	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Nirmali Phase-II	634	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Pakridayal Phase-II	825	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Rafiganj Phase-III	56	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Rajgir Phase-II	70	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Sherghati Phase-II	557	0.00	0.60	0.00	0.60
43	Sultanganj Phase-II	766	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Supaul Phase-III	390	0.00	0.20	0.00	0.20
45	Teghra Phase-II	291	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Warsaliganj Phase-III	1129	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>36534</b>	<b>188.13</b>	<b>104.20</b>	<b>2755.58</b>	<b>3047.91</b>

(तीस करोड़ सैंतालिस लाख एक्यानवे हजार रु मात्र)


2. संबंधित नगर निकाय को उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि आवंटित की जाती है। आवंटित राशि का उपयोग योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जाय। किसी भी तरह का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. योजना की पूर्णता एवं गुणवत्ता सर्वोपरि है। स्वीकृत राशि का व्यय HFA योजना के अधीन निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर निर्गत भारत सरकार एवं विभागीय दिशा-निदेश के अनुरूप करने के लिए संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (42ए) विहित प्रपत्र में बुडा को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
5. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

  
अपर सचिव-सह-उप निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।


ज्ञापांक-04/HFA-16/2016 2158 पटना, दिनांक 21/8/18  
प्रतिलिपि:-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि RTGS के माध्यम से स्वीकृत राशि संबंधित नगर निकाय के द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीकृत बैंक खाता में भेजने की कार्रवाई करें।

  
अपर सचिव-सह-उप निदेशक।

ज्ञापांक-04/HFA-16/2016 2158 पटना, दिनांक 21/8/18  
प्रतिलिपि:-संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव-सह-उप निदेशक।

ज्ञापांक-04/HFA-16/2016 2158 पटना, दिनांक 21/8/18  
प्रतिलिपि:-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर सचिव-सह-उप निदेशक।